

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त एच. एम.एड. कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के साथ ही ही किंग जय त के मिली 2000 (संविधान) के साथ ही।
संशोधित विषय एच. एड. कू में एच. एम.एड. द्वारा ही ही एच. एम.एड. एवं विनांक अथवा विनांक एवं विनांक वसिना ही।



अध्यापक : कुलसचिव
दूरभाष : (0751) 2341096
(0751) 2442529
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर
संख्यांक/एफ/सम्बद्धता/2012/ 5914

दिनांक: 29/04/13

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध विभागत इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ग्वालियर (0751-4043555) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.बी.ए., पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशसार्त प्रदान करने के लिये राजकीय कुलपति महोदय/राजकीय समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1978 के परिचियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण सपिति का गठन किया है :-


- (1) प्रो. योजेश उपाध्याय, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाळा, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442841)
- (2) प्रो. उमेश होलाबी, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाळा, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) डॉ. राजेश राठीक, उपाचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाळा, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (4) प्रो. हेमन्त शर्मा, आचार्य, पुस्तकालय विज्ञान अध्ययनशाळा, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक कर्तव्यों, प्राविण्य संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुमति प्रमाण पत्र, भवन, क्रीडा परिशर एवं पाठ्यक्रम/आईनेन्स तथा विद्यार्थी एवं टी.टी. शर्तों की पूर्ति गद्य प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधानें अर्पित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।


अथवा 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। निम्नानुसार अर्थात् तत्काल कक्षाएं बंदीन समिति गठित की जायेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना शर्तों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण सपिति के साथ सम्बद्धता शाळा में कार्यरत अधीक्षक / सहायक अधीक्षक पत्रपत्नी लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण सपिति के सदस्यों को टी.ए. / टी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/पाठक, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावे। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतगुडा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)